

# प्रेस नोट दिनांक 24.11.2025

## ऑपरेशन कन्विकशन

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली श्री रामबाबू यादव (एससी/एसटी कोर्ट) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

जनपद चन्दौली थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

दिनांक 14.07.2015 को 323,504,325 भादवि व 3(1)एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1 राधे बिन्द पुत्र रामदेव बिन्द निवासी गरला पित्तपुर थाना चकिया चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 177/2015 धारा 323,504,325 भादवि व 3(1)एससी/एसटी एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

अभियोजक श्री जे.पी. सिंह (एडीजीसी) व थाना चकिया के पैरोकार हे0 का0 बीरबहादुर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-24.11.2025 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली श्री रामबाबू यादव (एससी/एसटी कोर्ट) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1. राधे बिन्द पुत्र रामदेव बिन्द निवासी गरला पित्तपुर थाना चकिया चन्दौली को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।